मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 06-03-2016 को पंचायत चुनाव, 2016 एवं विधि-व्यवस्था संबंधी कार्यो की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

(2) कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(3) पंचायत चुनाव-2016 :-

➢ जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि आप पंचायत चुनाव से भली-भाँति अवगत हैं। पंचायत चुनाव अन्य चुनावों की अपेक्षा अधिक संघर्षपूर्ण होता है।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंहेश्वर मेला शुरू होने वाला है। देश के विभिन्न भागों से आतंकी घटनाओं की सूचना प्राप्त होती रहती है। यदि ऐसी किसी प्रकार की सूचना आपके संज्ञान में आती है, तो उसे गंभीरता से लें तथा उसकी सूचना अविलम्ब जिला प्रशासन को दें, ताकि ससमय प्रभावी ढ़ंग से कार्रवाई की जा सके।

➢ कदाचारमुक्त इंटर परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया एवं आगामी मैट्रिक परीक्षा भी इसी प्रकार कदाचारमुक्त करवाने की आशा व्यक्त की गयी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सिंहेश्वर मेला, सिंहेश्वर महोत्सव एवं होली आदि कार्यक्रम के बाद पंचायत चुनाव भी है। यह चुनौतीपूर्ण है।

➢ पंचायत चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त हो, इस हेतु जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों से विचार साझा किया।

➢ अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि अभी चुनाव में नामांकन शुरू हो गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सहायक निर्वाची पदाधिकारी से ऐसी आशा की जाती है कि Flimsy Ground पर नामांकन किसी भी प्रत्याशी का रद्द न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए।

➢ उन्होंने कहा कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्षों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े एवं चुनाव शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न हो सके।

➢ उन्होंने यह भी कहा कि धारा-107 में कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो निश्चित रूप से प्रस्ताव दें।

➢ अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि प्रत्याशियों से पदाधिकारियों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए तथा काम में पारदर्शिता होनी चाहिए।

➢ आरक्षी निरीक्षक, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि जितने भी वारंटी है, पुलिस पदाधिकारी एक टीम बनाकर उन वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उत्पाद अधीक्षक से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर शराब बनाने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें एवं शराब भट्टियों को नष्ट कर दें। बताया गया कि आलमनगर का इलाका काफी संवेदनशील है, जो खगड़िया एवं नवगछिया की सीमा से सटा हुआ है, इसमें पुलिस बल की एक टीम बनाकर छापामारी कर, अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।

➢ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव सबसे निचले स्तर का चुनाव है, इसमें बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में मुखिया का पद बहुत ही आकर्षक होता है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे उम्मीदवार ही जीते, जिसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोगों का मुख्य दायित्व स्वचछ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराना है, इसकी तैयारी सही तरीके से नहीं करने पर परेशानी हो सकती है। इस संबंध में थानाध्यक्षों को कुछ सुझाव भी दिये गये हैं। कोई घटना नहीं घटे, उसका अनुमान पहले से लगाया जाए। अभी नामांकन चल रहा है, क्षेत्र में जाकर देंखे, प्रत्याशियों के बीच जायें और संदिग्ध लोगों के चरित्र के बारे में पता लगावें, अगर किसी प्रकार का अपराधी तत्व या वारंटी पाया जाता, तो उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत् कानूनी कार्रवाई की जाए।

➢ क्षेत्र भ्रमण हेतु कार्यक्रम की रूप-रेखा पहले से तय कर लें। पंचायत चुनाव काफी मुश्किल होता है, इस लिए क्षेत्रों का भ्रमण करें, सभी प्रत्याशियों का मोबाईल नम्बर प्राप्त करें, उनसे बात करें, वे एक दूसरे के बारे में जानकारी देंगे, जो थानाध्यक्ष के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अग्रतर कार्रवाई करें।

➢ टीम बनाकर सभी प्रत्याशियों के गांव जायें, आम लोगों से बात करें और पता लगावें कि उस गॉव में कौन लोग स्थानीय है और कौन लोग बाहरी हैं। उसी आधार पर अपनी कार्य योजना बनाएं तथा कार्य करें।

➢ उन्होंने बताया कि उपलब्ध बल से ही पंचायत चुनाव कराना है। अन्य चुनाव में बाहर से केन्द्रीय बल आता है, लेकिन इस चुनाव में जिले में उपलब्ध बल से ही कार्य लिया जायेगा।

➢ उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन मोटर साईकिल से पेट्रोलिंग करने पर काफी सुविधायें होती है, समय पर पुलिस पदाधिकारी स्थल पर पहुंच जाते हैं। स्थानीय पुलिस को ही कमान्डों के रूप में प्रशिक्षित किया जाए।

➢ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा नामांकन के बारे में बहुत सारी बातें बतायी गयी, जो कि कारगर एवं उपयुक्त है। बताया

गया कि सुचारू रूप से चुनाव सम्पन्न कराने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्षों को निष्पक्ष रहना होगा, लोगों की बातें सुननी होगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों के बीच अच्छा समन्वय होना चाहिए। थानाध्यक्ष, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का वाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, जिससे सूचना संग्रहण एवं आदान-प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी।

➢ अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को निष्पक्ष, तटस्थ एवं ड्यूटी पर मुस्तैद रहना होगा। किसी प्रत्याशी विशेष से एकान्त में मिलना तथा उनके पक्ष में काम करना छोड़ना होगा। सभी के लिए समान रूप से अच्छा व्यवहार करना होगा एवं नियमसंगत कार्रवाई करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्रों /अनुदेशों का गंभीरता से अध्ययन करना होगा। विशेषकर नामांकन की संवीक्षा, नामांकन रद्द करने तथा मतगणना के समय मतपत्रों को रद्द करते समय आयोग के दिशा-निर्देश का अक्षरशः पालन करना होगा। मतदान के दिन असामाजिक तत्व गलत सूचना देकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अतः उस दौरान भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

➢ **नामांकन हेतु बैरिकेटिंग /सी0सी0टी0भी0 कैमरा /बैंक खाता /नाजीर रसीद आदि की तैयारी** :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नामांकन हेतु बैरिकेटिंग /सी0सी0टी0भी0 कैमरा /बैंक खाता /नाजीर रसीद आदि की तैयारी कर ली गयी है। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड द्वारा बताया गया कि पुलिस बल की भारी कमी है। कुमारखण्ड थाना के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी, भतनी तथा श्रीनगर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा थानाध्यक्ष, भतनी तथा श्रीनगर को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड से समन्वय स्थापित कर कार्यो का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें।

➢ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बताया गया कि पंचायत का चुनाव और विधान सभा चुनाव का दृश्य अलग-अलग होता है। उसमें पुलिस बल अलग होता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव में स्थानीय थानाध्यक्षों की भूमिका सबसे अहम होती है। इन्हें ही निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है। किसी भी शिकायतकर्त्ता द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष की शिकायत अनुमण्डल स्तर /जिला स्तर /राज्य स्तर तक की जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी थानाध्यक्ष निष्पक्ष तथा पारदर्शी रहे। निरोधात्मक कार्रवाई काफी सोच-समझकर करें। वांरटी एवं आपराधिक प्रवृति के लोगों की पहचान कर बाउण्ड-डाउन करावें। 107, 109, 110 द0प्र0सं0 की धारा के तहत् कार्रवाई करें। प्रत्याशियों की नाजीर रसीद का ब्यौरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त कर लें। इससे प्रत्याशियों के बारे में आसूचना संग्रहण में सहुलियत होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा निदेश दिया गया कि थानाध्यक्ष एक रजिस्टर रखें, जिसमें प्राप्त सूचनाओं को लगातार नोट करते जायें, इससे सूचनाओं का